भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2505

सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

केंद्रीय अस्पताल, तारापुर में स्टाफ की कमी

2505. **श्री ईशा खान चौधरी:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मालदा दक्षिण के अंतर्गत **केंद्रीय** अस्पताल धुलियान, तारापुर कई वर्षों से स्टाफ की भारी कमी का सामना कर रहा है, जहां डॉक्टरों और नर्सों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 12 है, जबकि यहां केवल 2 स्थायी डॉक्टर और 2 नर्स हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट और प्रयोगशाला तकनीशियन जैसे मुख्य विशेषज्ञों के रिक्त पदों के कारण बंद पड़े गैर-कार्यात्मक ऑपरेशन थियेटर को पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/ उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यूएसजी और ईसीजी जैसी आवश्यक नैदानिक सेवाओं को बहाल करने के लिए एक्स-रे मशीन सहित महत्वपूर्ण और क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपकरणों को बदलने या मरम्मत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, साथ ही क्या उक्त प्रशिक्षित विशेषज्ञों की तैनाती भी की गई है ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम कल्याण योजना को देश भर में लागू किया जाता है जिसके तहत बीड़ी/सिनेमा/गैर-कोयला खदान कामगारों और उनके आश्रितों को केंद्रीय अस्पताल, धुलिया, तारापुर सहित 10 अस्पतालों मे बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) और भर्ती रोगी विभागों (आईपीडी) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं प्रदान की जाती है।

वर्तमान में, केन्द्रीय अस्पताल, धुलिया तथा तारापुर के सुचारू संचालन के लिए 06 चिकित्सक और 05 नर्सिंग अधिकारी तैनात हैं। सरकार, केन्द्रीय अस्पताल, धुलिया तथा तारापुर में मेडिकल, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने और मशीनरी को बदलने या उनकी मरम्मत कराने के लिए हर संभव प्रयास करती है।

जारी..2/-

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त पदों को नियमित आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एण्ड एफडब्ल्यू) को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया जाता है कि सभी रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन अधिकारियों की भर्ती करता है और तत्पश्चात उन्हें श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत अस्पतालों/ डिस्पेंसरियों में तैनाती हेतु श्रम कल्याण महानिदेशालय (डीजीएलडब्ल्यू), श्रम और रोजगार मंत्रालय को आवंटित किया जाता है।

श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत अस्पतालों/डिस्पेन्सरियो के लिए पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग से भी नियमित रूप से संपर्क किया जाता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत अस्पतालों/डिस्पेंसरियों के सुचारू संचालन के लिए संविदा आधार पर मेडिकल और पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिया है और भर्ती भी की है।

*****